

..... 2018 ..... वर्ष के लिए अपना सम्पत्ति विवरण (as on 01.01.2018)

1. अधिकारी का नाम Inder Kumar.....

(पूरा नाम व सेवा जिससे अधिकारी संबंधित है।)

2. वर्तमान पद ACDA.....

वर्तमान वेतन 95500/-.....

उस जिले, उप-भाग, ताल्लुक और गाँव का नाम जहाँ सम्पत्ति स्थित है।	आवासीय भूमि और अन्य भवनों आदि की सम्पत्ति का नाम व पूरा खीरा।	वर्तमान मूल्य	यदि अपने स्वयं के नाम में नहीं है तो बतायें कि किसके नाम से है तथा उससे सत्कारी कर्मचारी का क्या सम्बन्ध है ?	सम्पत्ति कैसे अर्जित की ? क्या खरीदी गई, पट्टे पर ली गई, बंधक, उत्तराधिकार, उपहार अथवा किसी अन्य ढंग से ली गई। तारीख जिससे अधिकार में ली गई तथा उस व्यक्ति का नाम जिससे ली गई।	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्तिपूर्ण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

दिनांक 9/1/2018  
(जो अंश खाली न हो काट दें।)

हस्ताक्षर.....  
पूरा नाम Inder Kumar  
पदनाम/वेतन ACDA  
टो/लेखा संख्या 8315018  
कार्यालय का नाम ACDA WC Chandigarh

(2.) निम्न मामलों में सम्पत्ति के मूल्य का निर्धारण सम्भव नहीं हो सकता है तो वर्तमान स्थितियों के हवाले से मूल्य बतायें।

टिप्पणी : वित्त मंत्रालय के 17.09.56 के काउन्सिल (165)/ई-1/56 के अनुसार इस घोषणा पत्र को सेवा के तत्पक्ष सदस्य द्वारा उसके द्वारा जारी अपल सम्पत्ती का खीरा चाहे अपने नाम में हो अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अर्जित अथवा उत्तराधिकार में प्राप्त अथवा उसके द्वारा पट्टे पर अथवा बंधक ली गई अपनी सम्पत्ति निष्पत्ति के समय भर कर देना अनिवार्य है और उसके परचाय हर वर्ष देना होगा।